

विविध बैंक प्रकरण सं0 64/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम श्रीमती संतोष बंसल पत्नी भूपेन्द्र कुमार एवं भूपेन्द्र कुमार पुत्र बनारसी दास मकान नं 7, एफ-19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर



05.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा संतोष बंसल एवं भूपेन्द्र कुमार को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 9,00,000/-रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) दिनांक 31.12.2012 को स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गारंटर शान्ति देवी सम्पत्ति मकान नं 7 एफ-19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 28.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 24.11.2016 को कुल 9,57,202/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 25.11.2016 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल सम्पत्ति शान्ति देवी सम्पत्ति मकान नं 7 एफ-19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

21/11
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संतोष बंसल एवं भूपेन्द्र कुमार को दिनांक 31.12.2012 को ऋण सुविधा के रूप में 9,00,000/- (अखरे रूपये नौ लाख रूपये) की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी जमानतदार शान्ति देवी द्वारा अपनी चल व अचल सम्पतियाँ आवासीय मकान नं 7-एफ19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 28.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों एवं बंधककर्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 25.11.2016 को डाक द्वारा भिजवाये गये, जिसकी प्राप्ति की एडी रसीद, जो गारंटर शान्ति देवी पर तामील हुई है और प्रार्थी बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत भौतिक कब्जा चाहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 25.11.2016 को डाक द्वारा भिजवाये गये।

धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋणी की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी जमानतदार की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।


साक्षि
जिला मजिस्ट्रेट,
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल व अचल सम्पत्ति मकान नं 7 एफ-19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में स्थित है जो जमानतदार शांति देवी के नाम से है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त सम्पत्ती जिनका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 25.11.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 25.11.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी संतोष बसल, भूपेन्द्र कुमार एवं शान्ति देवी के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों को प्रार्थी बैंक का भौतिक कब्जा को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2017 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी एवं जमानतदार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ती मकान नं 7 एफ-19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञानाराम)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर